रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 101] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 1985/फाल्गुन 17, 1906
No. 101] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 1985/PHALGUNA 17, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1985

अधिसूचना

सा. का. नि. 143(अ):—राष्ट्रपति की निम्नलिखित उद्घोषणा साधारण जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :

उद्घोषणा

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, ज़ैल सिंह, भारत का राष्ट्रपति, सिक्किम राज्य के सम्बन्ध में

25 मई, 1984 की उक्त अनुच्छेद के अधीन की गई उद्घोषणा को एतद्द्वारा प्रतिसंहृत करता हूं ।

पणजी,
दिनांक 8 मार्च, 1985.

ज़ैल सिंह,
राष्ट्रपति

नई दिल्ली,
दिनांक 8 मार्च, 1985.

[सं. वी-11013/1/85-सी.एस.आर.]
आर. डी. प्रधान, गृह सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 8th March, 1985

NOTIFICATION

G.S.R. 143(E).—The following Proclamation by the President is published for general information :

PROCLAMATION

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 356 of the Constitution of India, I, Zail Singh, President of India, hereby revoke the Proclamation made under the said article on the 25th May, 1984 in relation to the State of Sikkim.

Panaji,
The 8th March, 1985.

ZAIL SINGH, President

NEW DEHI,
The 8th March, 1985.

[No. V-11013|1|85-CSR]
R. D. PRADHAN, Home Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985